भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-848
जिसका उत्तर 07 दिसंबर, 2023 को दिया गया

जल विद्युत उत्पादन

848. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जल विद्युत की अपार संभावनाओं के बावजूद अपेक्षित मात्रा में जल विद्युत का उत्पादन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो देश में वर्तमान में खोजी गई और दोहन की गई जल विद्युत उत्पादन क्षमता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) जल विद्युत के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(**क**) **:** केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्य के निमित्त देश में जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादन निम्नानुसार है:

वर्ष	उत्पादन लक्ष्य (बिलियन यूनिट में)	वास्तविक उत्पादन (बिलियन यूनिट में)	लक्ष्य के निमित्त उपलब्धि
2020-21	140.4	150.3	+7.1%
2021-22	149.5	151.6	+1.4%
2022-23	150.7	162.1	+7.6%
2023-24 (अक्तूबर, 2023 तक)	114.2	102.3	-10.4%

इस प्रकार, जलविद्युत उत्पादन लगातार लक्ष्य से अधिक रहा है। वर्तमान वर्ष के दौरान, यह मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जुलाई, 2023 के दौरान बाढ़ तथा अक्तूबर, 2023 के दौरान सिक्किम में विनाशकारी बाढ़, जिसने योजना के अनुरूप उत्पादन को प्रभावित किया, के कारण कम है।

(ख) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2017-2023 की अवधि के दौरान किए गए पुनर्मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, देश में उपयोग योग्य जल विद्युत क्षमता लगभग 1,33,410 मेगावाट है, जिसमें से 42,105 मेगावाट का उपयोग किया जा चुका है।

देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जल विद्युत क्षमता और इसके विकास की स्थिति **अनुबंध** में दी गई है।

(ग) : भारत सरकार ने जलविद्युत परियोजनाओं से उत्पादन बढ़ाने हेतु अनेक नीतिगत उपाय किए हैं। ये उपाय न केवल भावी जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में मदद करेंगे बल्कि उत्पादन को भी बढ़ाएंगे। किए गए कुछ उपाय निम्नानुसार हैं:

i. बृहत जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत घोषित करना
ii. जल विद्युत क्रय दायित्व (एचपीओ) की अधिसूचना
iii. जल विद्युत परियोजनाओं और पंप्ड भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभार से छूट
iv. प्रारंभिक वर्षों के दौरान टैरिफ को कम करने के लिए टैरिफ युक्तिकरण के उपाय
v. जल विद्युत परियोजनाओं के बाढ़ नियंत्रण घटक हेतु बजटीय सहायता
vi. सक्षम अवसंरचना अर्थात सड़कों/पुलों के निर्माण हेतु बजटीय सहायता
vii. जल विद्युत परियोजनाओं में संविदात्मक विवादों के समाधान के लिए स्वतंत्र अभियंताओं एवं स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति का पैनल बनाना
viii. पम्प्ड भंडारण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 10.04.2023 को दिशानिर्देश जारी करना।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 07.12.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 848 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

बृहत जल विद्युत क्षमता विकास की स्थिति

(संस्थापित क्षमता के संदर्भ में - 25 मेगावाट से अधिक)

क्षेत्र/राज्य	पुनर्मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार उपयोग योग्य चिह्नित क्षमता	प्रचालन में क्षमता	सक्रिय निर्माणाधीन क्षमता	वह क्षमता जिस पर निर्माण कार्य रुका हुआ है	सीईए द्वारा एचई परियोजनाओं पर सहमति व्यक्त की गई है और अभी तक निर्माण शुरू नहीं किया गया है	सीईए में जांच के अधीन एचई परियोजनाएं	एचई परियोजनाएं परियोजना प्राधिकारियों को वापस लौटा दी गई	सर्वेक्षण एवं जांच के अधीन एचई परियोजनाएं	विकास के लिए आवंटित एचई परियोजनाएं जिन पर एसएंडआई रुका हुआ है/अभी तक शुरू नहीं किया जाना है
	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)
उत्तरी क्षेत्र									
जम्मू एवं कश्मीर	12265	3360	3052	48	3119	0	390	1060	370
लद्दाख	707	89	0	0	0	0	0	95	0
हिमाचल प्रदेश	18305	10263	2446	44	937	0	400	1144	2700
पंजाब	1301	1096	206	0	0	0	0	0	0
हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
राजस्थान	411	411	0	0	0	0	0	0	0
उत्तराखंड	13481	3975	1324	247	815	0	939	732	628
उत्तर प्रदेश	502	502	0	0	0	0	0	0	0
उप-जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	**46971**	**19696**	**7028**	**339**	**4871**	**0**	**1729**	**3031**	**3698**
पश्चिमी क्षेत्र									
मध्य प्रदेश	2819	2235	0	400	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	1311	120	0	0	0	0	0	0	0
गुजरात	550	550	0	0	0	0	0	0	0
महाराष्ट्र	3144	2647	0	0	0	0	0	0	0
गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	**7824**	**5552**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
दक्षिणी क्षेत्र									
आंध्र प्रदेश	2596	1610	1190	0	0	0	0	0	0
तेलंगाना	1302	800	0	0	0	0	320	0	0
कर्नाटक	4414	3689	0	0	0	0	665	0	0
केरल	2473	1864	140	0	0	0	0	800	0
तमिलनाडु	1785	1778	0	0	0	0	0	0	0
उप-जोड़ (दक्षिणी क्षेत्र)	**12570**	**9742**	**1330**	**0**	**0**	**0**	**985**	**800**	**0**
पूर्वी क्षेत्र									
झारखंड	300	210	0	0	0	0	0	0	0
बिहार	130	0	0	0	0	0	130	0	0
ओडिशा	2825	2155	0	0	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	809	441	120	0	0	0	0	90	0
सिक्किम	6051	2282	620	417	520	0	0	0	0
उप-जोड़ (पूर्वी क्षेत्र)	**10115**	**5088**	**740**	**417**	**520**	**0**	**130**	**90**	**0**
पूर्वोत्तर क्षेत्र									
मेघालय	2026	322	0	0	85	0	0	270	170
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मणिपुर	615	105	0	0	0	0	0	0	0
असम	643	350	120	0	0	0	60	0	0
नागालैंड	325	75	0	0	186	0	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	50394	1115	4880	0	13798	0	5323	14599	1520
मिजोरम	1927	60	0	0	0	0	0	0	0
उप-जोड़ (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	**55930**	**2027**	**5000**	**0**	**14069**	**0**	**5383**	**14869**	**1690**
अखिल भारतीय	**133410**	**42105**	**14098**	**1156**	**19460**	**0**	**8227**	**18790**	**5388**

****